

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,  
चंडीगढ़।

सेवा में,

1. सभी अधिष्टता अधिकारी, श्रम न्यायालय, हरियाणा राज्य।
2. अतिरिक्त निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, मुख्यालय।
3. अतिरिक्त श्रम आयुक्त, मुख्यालय।
4. अतिरिक्त श्रम आयुक्त (एन.सी.आर.), गुरुग्राम।
5. संयुक्त श्रम आयुक्त, मुख्यालय।
6. सभी संयुक्त निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
7. सभी उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
8. सभी उप निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
9. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
10. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
11. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (केमिकल), हरियाणा राज्य।
12. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
13. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
14. कल्याण अधिकारी (महिला), फरीदाबाद व पानीपत।
15. सभी उप अधीक्षक, मुख्यालय।
16. लेखा अधिकारी, मुख्यालय।

क्रमांक स्था0/01/2024/15502-30

दिनांक: 12/05/24


**विषय : अर्जित/आकस्मिक अवकाश स्वीकृत न करने बारे।**

\*\*\*\*\*

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयोक्त मामले में सादर सूचित किया जाता है कि श्रम आयुक्त, हरियाणा द्वारा दिये गये आदेशानुसार किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का आकस्मिक अवकाश व अर्जित अवकाश माह जून, 2024 से आगामी आदेशों तक स्वीकृत न किया जाये और न ही स्वीकृति हेतु मुख्यालय को भेजा जाये।

इसके अतिरिक्त जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जा चुका है, वह तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाता है तथा सभी अधिकारियों / कर्मचारियों से अनुरोध किया जाता है कि वे तुरंत प्रभाव से अपना कार्यग्रहण करते हुए मुख्यालय पर अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करे, अन्यथा आपके विरुद्ध आगामी कार्यवाही अमल में ला दी जाएगी।

  
सहायक श्रम आयुक्त (मुख्यालय)  
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।